



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गिरिडीह।

(जिला राजस्व शाखा)

दूरभाष सं० :- 06532-222445

ई-मेल :- ac-giridih@jharkhandmail.gov.in

सरिया अंचल के अन्तर्गत DFCCIL विशेष रेल परियोजना हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) जो निम्नवत है:-

क्र०	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा (हे० में)
1	सरिया	सरिया खुर्द	32	1	53	0.716
					54	3.628
					कुल :-	4.344

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकवा 4.344 हे० में सन्नहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

अपर सहायक,
गिरिडीह।
19/10/20
19/10/20

उपायुक्त, गिरिडीह।
20/10/20

ज्ञापांक 1615 / रा०, दिनांक 20/10/2020

- प्रतिलिपि :- मुख्य परियोजना प्रबंधक, DFCCIL Kolkata को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग, पूर्वी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
कृपया जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

अपर सहायक,
गिरिडीह।
19/10/20
19/10/20

उपायुक्त, गिरिडीह।
20/10/20